

500

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. /17 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/शु.श/2017/4495

श्रीमति माधुरी उर्फ मधु माथुर बालिग पत्नि स्व.श्री अजय नारायण माथुर निवासी-दिल्ली, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)निगरानीकर्ता

बनाम

दिनांक 16-11-17 को
श्री मन्त्रीय कानून कोष
द्वारा प्रस्तुत।

~~कानून~~
16-11-17
50.

चौ दि 22-12-17
22-11-17

mtu

श्री अजय माथुर
B.M.M.S.
22-11-17

1. मध्यप्रदेश शासन व जयें जिलाध्यक्ष विदिशा (म.प्र.)

2. श्रीमती मिथलेश माथुर बालिग पत्नि स्व.श्री बी.वी.एल.माथुर, निवासी-लखनउ, हाल चाचावाली गली, गॉंधीचौक, गंज बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

3. श्रीमति विमलेश माथुर बालिग बालिग पत्नि स्व.श्री बी.वी.माथुर, निवासी-ग्वालियर, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

4. श्रीमति प्रभा माथुर बालिग पत्नि स्व. श्री जगदीश बिहारी माथुर, निवासी-दिल्ली, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

5. अनीता माथुर बालिग पत्नि श्री अनिल कुमार माथुर, निवासी-जयपुर, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

6. श्रीमति अरुणा माथुर बालिग पत्नि स्व. श्री महेशनारायण माथुर, निवासी विदिशा, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

7. राजेश माथुर आयु 50 वर्ष पुत्र स्व. श्री माताप्रसाद माथुर, निवासी गॉंधी चौक, चाचावाली गली, बासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

3.

8. श्रीमति शोभा माथुर बालिग पत्नि श्री रामशंकर माथुर, निवासी-भोपाल, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

9. श्रीमति रेणुका माथुर बालिग, पत्नि श्री तिलक माथुर, निवासी-जयपुर, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

10. श्रीमति शालिनी बालिग पत्नि श्री संजय माथुर, निवासी-बनारस, हाल चाचावाली गली, गॉंधी चौक, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 21.09.2017..

न्यायालय अपर कलेक्टर विदिशा, जिला विदिशा(म.प्र.)

प्र.कं. 01/अ-90(बी-3)/2012-13, /16-17.

शासन बनाम माताप्रसाद माथुर, जो सीलिंग प्रकरण में पारित किया गया है।

गंजबासौदा, तहसील विदिशा (म.प्र.)

श्रीमानजी,

निगरानी इस प्रकार है :-

1. यह कि माननीय अपर कलेक्टर विदिशा के यहाँ द्वारा दिनांक 20.02.1991 को राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव के आवेदन पर जो कि कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसमें भूमि सीमा से अधिक होने की शिकायत के आधार पर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, जो सन् 1991 से लेकर लगातार दिनांक 27.02.2017 तक गतिशील रहा और दिनांक 21.09.2017 को निगरानीकर्ता के विरुद्ध भूमि 141, एकड़ की पात्रता होने से ग्राम ककरूआ-मोदन की भूमि को अतिशेष घोषित किया, के विरुद्ध यह निगरानी इस प्रकार है।


2. यह कि विद्वान जिलाध्यक्ष अपर जिलाध्यक्ष महोदय ने राज्य शासन से सीलिंग एक्ट के तहत कोई प्राधिकारी नियुक्त नहीं कराया। न ही अपर जिलाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष सीलिंग एक्ट की धारा 2(ई)(ड), के तहत कार्यवाही करने के लिये कार्यपालक अधिकारी या प्राधिकारी नियुक्त किया तथा जो आदेश दिया है, वह अपर कलेक्टर विदिशा की हैसियत से आदेश दिया गया है, किन्तु सीलिंग में आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध निगरानी इस प्रकार है।

3. यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि के विपरीत है। अपर कलेक्टर महोदय न्यायालय ने अपने आदेश के पद कं.1 में इस बात का उल्लेख किया है कि दिनांक 20.02.1991 को आवेदन के माध्यम से अतिशेष भूमि घोषित है। यह दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4495

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	